

राजस्थान सरकार,
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(569)परि/नियम/मु./2019

जयपुर, दिनांक : 2/4/19

समस्त,

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,

विषय:- पेट्रोल चलित वाहनों जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं, में LPG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन एवं तिपहिया वाहन में "मैसर्स Anoop Industries को पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त LPG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115C एवं 126 के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं। उक्त LPG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉडल हेतु फर्म द्वारा ले-आउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट एजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।


"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
Wagon R LXI BS4	998	Vehicle manufactured from 01 st April 2013 till the validity of Bharat Stage IV norms	CAOL 0028 Dt. 30.01.2019

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
1	CHEVROLET BEAT	1199	Vehicle manufactured from 01 st April 2013 till the validity of Bharat Stage IV norms	CAOL 0028 L01 Dt. 26.02.2019
2	CHEVROLET SAIL (SEDAN)	1199		
3	CHEVROLET SPARK	995		
4	DUSTON GO	1198		
5	FIAT PUNTO EVO	1172		
6	FORD ECOSPORT	999		
7	FORD FIGO	1196		
8	HONDA AMAZE	1198		
9	HONDA JAZZ	1199		
10	HYUNDAI i20 ELITE	1197		
11	HYUNDAI i10 GRAND	1197		
12	HYUNDAI EON KAPPA MAGNA	998		
13	HYUNDAI i10 1.1	1086		
14	HYUNDAI XCENT	1197		
15	HYUNDAI SANTRO	1086		
16	MAHINDRA KUV 100	1198		
17	MARUTI A STAR	998		
18	MARUTI ALTO K10	998		
19	MARUTI SUZUKI BALENO	1197		
20	MARUTI CILARIO	998		
21	MARUTI EECO 5 SEATER	1196		
22	MARUTI EECO 7 SEATER	1196		
23	MARUTI EECO CARGO	1196		
24	MARUTI RITZ	1197		

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
25	MARUTI SWIFT	1197	Vehicle manufactured from 01 st April 2013 till the validity of Bharat Stage IV norms	CAOL 0028 L01 Dt. 26.02.2019
26	MARUTI SWIFT DZIRE	1197		
27	MARUTI ZEN ESTILO	998		
28	MARUTI IGNIS	1197		
29	NISSAN MICRA	1198		
30	RENAULT KWID	779		
31	RENAULT PULSE	1198		
32	SKODA FABIA	1198		
33	HONDA WR-V	1199		
34	SKODA RAPID 1.2	1198		
35	TATA BOLT	1193		
36	TATA INDIGO eCS	1193		
37	TATA TIAGO	1199		
38	TATA INDICA XETA	1193		
39	TATA ZEST	1193		
40	TATA ZICA	1199		
41	TOYOTA ETIOS LIVA	1197		
42	VOLKSWAGEN AMEO	1198		
43	VOLKSWAGEN AMEO	1198		
44	VOLKSWAGEN VENTO	1197		
45	TATA NEXON	41198		
46	DUSTON REDI GO	799		
47	MARUTI OMNI 5 SEATER	796		
48	MARUTI OMNI 8 SEATER	796		
49	MARUTI ALTO 800	796		

1. इन वाहनों में उक्त LPG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त वाहन मॉडल में LPG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ संलग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावे।
3. वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में LPG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्यालयाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता LPG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।
4. केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप में किये गये LPG Kit के पुनः Fitment को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि/परिवर्तन किये जा सकेंगे। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्टि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि LPG Kit के सिलिन्डर (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्टि का अंकन किया जावे।
5. वाहन स्वामी को अपने वाहन में LPG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। LPG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर-अन्दर करवाना होगा।
6. वाहन का टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट मूल टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा नियमों में परिवर्तन जो भी पहले हो तक के लिए ही वैध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


— 
(धर्मेन्द्र कुमार)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक प.7(38)(569)परि/नियम/मु./2019/350-352

जयपुर, दिनांक : 29-03-2019

प्रतिलिपि:-

1. M/s. Anoop Industries, A-53/7 Rama Road Industrial Area, Delhi-110015 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analyst cum Programmer परिवहन मुख्यालय।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय।

— 
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)